रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 1971/पौष 30, 1892

No. 13] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 1971/PAUSA 30, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January 1971

G.S.R. 117 .— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri C. C. Ganapathy to be a Member of the Company Law Board, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G.S.R. 177 dated the 1st February, 1964, as amended from time to time, namely:

In the said notification, in clause (a), for entry (2), the following entry shall be substituted, namely:—

"(2) Shri C. C. Ganapathy".

[No. F. 1/18/69-Admn. I]

G. A. SHAH, Jt. Secy.

कम्पनी कार्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1971

सा० का० नि० 117 :—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10ङ, की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री सी०सो० गणपति को कम्पनी विधि बोर्ड का एक सदस्य नियुक्त करती है एवं भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० का०नि० 177 दिनांक 1 फरवरी 1964, जो समय समय पर संशोधित होती रही, में पुनः निम्न प्रकार संशोधन करती है, यथा :—

कथित अधिसूचना में, खंड (क) में, प्रविष्ट (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ट प्रति स्थापित की जाय, यथा :—

"(2) श्री सी० सो० गणपति"

[सं० 1/18/69-एडमन I.]

जी०ए० शाह, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971